28/10/24 पत्रावली पेशी में ली गई। तहसील पत्रांक / LR
3544 दिनांक 1-10-25 द्वारा विभाजन प्रस्ताव
प्राप्त हुआ। वकील वादी को सुना गया।
वादपत्र मुताबिक विभाजन स्वीकार कर
डिक्री किया जाता है। पर्चा डिक्री जारी
पत्रावली नंबर से कम की जाकर दाखिल
दफ्तर की जाती है। आदेश सुनाया गया।

2

डिक्री बमुकदमें ईब्तदाई

अ. आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रियां संहिता

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारीः-(मांगी लाल) RAS

वादपत्र अन्तर्गत धाराः- 88, 53 आर.टी.ए. 1955

प्रकरण संख्याः- 151/2025

सिमरतपाल सिंह पुत्र श्री बलजिन्द्र सिंह जाति जट सिख निवासी वार्ड 05, मस्जिद के पास, 6 एलएलडब्लयु ढाणी, नवां हनुमानगढ़ तहसील व जिला हनुमानगढ राजस्थान।

-:वादी

बनाम

1 मोहम्मद रफीक पुत्र सुभान खां जाति मुसलमान निवासी नवां तहसील व जिला हनुमानगढ राजस्थान।

2 लाल खां पुत्र सुभान खां जाति मुसलमान निवासी नवां तहसील व जिला हनुमानगढ राजस्थान।

3 सादक अली पुत्र सुभान खां जाति मुसलमान निवासी नवां तहसील व जिला हनुमानगढ राजस्थान।

4 हनीफ पुत्र सुभान खां जाति मुसलमान निवासी नवां तहसील व जिला हनुमानगढ राजस्थान।

5 दतार सिंह पुत्र श्री जयमल सिंह जाति राय सिख निवासी नवां तहसील व जिला हनुमानगढ राजस्थान।

6 स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा लीलावाली जरिये शाखा प्रबंधक लीलावाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ राजस्थान।

7 राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक शाखा हनुमानगढ जंक्शन तहसील व जिला हनुमानगढ राजस्थान।

8 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व), हनुमानगढ

-:प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धाराः- 88, 53 आर.टी.ए.

यह राजस्व मुकद्मा आज मुझ मांगी लाल आर.ए.एस. के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे बहाजरी श्री मोहनलाल यादव वकील वादी मिन जामिन मुदई व राजपैरोकार पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है किः- इस न्यायालय द्वारा जारी प्राथमिक डिक्री दिनांक 10.09.2025 की पालना में तहसीलदार हनुमानगढ के पत्रांक भू.अ./3444 दिनांक 01.10.2025 द्वारा विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हुआ। विभाजन प्रस्ताव पर वादी पक्ष को सुना गया। वाद पत्र मुताबिक विभाजन प्रस्ताव के निम्न प्रकार से डिक्री किया जाता है किः- **वादी सिमरतपाल सिंह का रकबा-** चक 6 एलएडब्ल्यू प.न. 142/222 मु.न. 30 कि.न. 1 ता 7 कुल 1.771 हैक्टेयर। **शेष हिस्सा मुताबिक** जमाबंदी बदस्तूर। उक्तानुसार वादी का खाता अलग व रकमराज अलग कायमी के आदेश दिए जाते है। तहसीलदार हनुमानगढ को आदेशित किया जाता है कि यदि कोई स्थगन/न्यायिक विवाद आदि नहीं हो व खातेदार काश्तकार का कब्जाकाश्त हो तो, उक्त आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में इसी अनुसार अमलदरामदगी कर लगाम

ायम किया जावें। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे। विभाजन प्रस्ताव डिक्री का भिन्न अंग रहेगा।

निज XXX नल XXX मुब्लिक XXX निल XXX बाबत् XXX निल XXX खर्चा मुकदमें के मय द वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक XXX अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 28/10/2025 को जारी किया या।

नोटः- डिक्रीत आराजी रहन हो तो, बाद रहन मुक्त के डिक्री का निष्पादन किया जावें।

(मांगी लाल) RAS
सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
हनुमानगढ

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
हनुमानगढ